न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री नमित मेहता, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 33/2021 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2021/164

प्रार्थीगण :-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
1. जोगाराम पुत्र नेनाजी, जाति देवासी 2. पुनाराम पुत्र अमराराम, जाति चौधरी निवासीगण डायलाना कलां, तहसील देसूरी जिला पाली		1. जीवीदेवी पत्नी वालाराम, जाति सरगरा, निवासी डायलाना कलां, तहसील देसूरी, जिला पाली 2. ग्राम पंचायत डायलाना कलां जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :- प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित
अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री चेतन कुमार चौहान

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- 29.11.2022

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत डायलाना कलां द्वारा आदेश दिनांक 11.09.2019 की पालना में अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 45 दिनांक 11.09.2019 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रार्थीगण की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टा तत्कालीन सरपंच नारायणलाल द्वारा अपनी माता जीवीदेवी के पक्ष में खाली भू-खण्ड का नियम 158 के तहत् जारी किया गया है, जबकि नियम 158 के तहत् कमजोर वर्ग के लोगों के गृह स्थल नहीं हो तो रियायती दर पर पट्टे जारी किये जा सकते है। अतः जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है। नियम 47 राजस्थान पंचायती राज नियम अनुसार सरपंच ना तो अपने परिजनों के हक में किसी प्रकार के लाभ का कोई कार्य कर सकता है न ही इससे संबंधित किसी कार्यवाही में भाग ले सकता जबकि जैर निगरानी आदेश तत्कालीन सरपंच नारायणलाल ने अपनी माता जीवीदेवी के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जो काबिले खारिज है। जैर निगरानी पट्टे में वर्णित मिसल की प्रमाणित प्रति मांगने पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 08.07.2021 को प्रमाण पत्र जारी कर उक्त मिसल ग्राम पंचायत में अनुपलब्ध होना बताया। जैर निगरानी आदेश व पट्टे को जारी करने से पूर्व नियम 140 से 160 तक किसी भी नियम की पालना नहीं की गई और सारी संबंधित कार्यवाही एक ही दिन में सम्पन्न की गई। उक्त प्रकरण में ना तो मिसल दर्ज की गई, ना किसी प्रकार का प्रस्ताव लिया गया, ना मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की नियुक्ति की गई व ना ही दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य ली गई है। प्रस्ताव पारित करने हेतु आपत्ति नोटिस नियम 148 के अनुसार 30 दिन का दिया जाता है जो मात्र सात दिवस का ही जारी किया गया। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। जैर निगरानी पट्टा नियम 158 के तहत् निःशुल्क जारी किया गया है, जबकि मौके पर जोराराम गवारिया का आधिपत्य है और उसका मकान निर्मित है, जो सपरिवार निवास करता है। अप्रार्थी संख्या 01 का कभी भी किसी भी रूप से आधिपत्य नहीं रहा है, फिर भी निःशुल्क आवंटन अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में अवैध रूप से किया गया है, जो अपास्त योग्य है। इस संदर्भ में वकील प्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये जो निम्न है :- 1984 WLN (UC) 175, 2009 DNJ 982, 2018 DNJ 497, 2003 RRT 136 जिसमें सरपंच अपने परिजन, भाई, माता, भाई के

जिला कलेक्टर, पाली

पुत्र व पत्नी के नाम से पट्टे जारी नहीं कर सकता है क्योंकि उसका हित दर्शित होता है। अतः जैर निगरानी पट्टा तत्कालीन सरपंच की माता जीवीदेवी के नाम जारी, जो काबिले खारिज है।

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी लिखित बहस में वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस का खंडन करते हुए निवेदन किया कि उक्त निगरानी पेश करने से पूर्व श्रीमान के समक्ष एक शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें डायलाना कलां के निर्माण कार्य की जाँच कराने बाबत् निवेदन किया। जिस पर श्रीमान के कार्यालय के पत्रांक 712 दिनांक 24.10.2019 द्वारा विकास अधिकारी, दूसरी को जाँच बाबत् प्रेषित किया गया, जिसके जवाब में विकास अधिकारी ने पत्रांक दिनांक 08.07.2022 द्वारा अवगत कराया कि ग्राम पंचायत डायलाना कलां के एक कमेटी द्वारा वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक जारी सभी पट्टों की जाँच करवाई गई। जिसमें जाँच कमेटी द्वारा अवगत करवायागया कि वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक जारी पट्टों में से एक भी पट्टा अवैध नहीं है। इसके अतिरिक्त परिवादीगण व ग्राम पंचायत के निवासीगण के स्वतंत्र गवाहों के बयान लिये गये जिससे पूर्ण स्पष्ट होता है कि उक्त अवधि में जारी एक भी पट्टा खारिज योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा आधारहीन निगरानी प्रस्तुत की गई जो काबिले खारिज है।

बहस उभयपक्ष सुनी जाकर उस पर गहन मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया एवं वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस के संलग्न विकास अधिकारी की जाँच रिपोर्ट में वर्णितानुसार सरपंच के भाइयों, भाई के पुत्र, पत्नी व सरपंच की माता के नाम पट्टे जारी होना बताया है जिसमें पारिवारिक सदस्यों को फायदा पहुँचाने की नियत से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पट्टा जारी किया गया है, के संबंध में बिन्दु निम्न है –

1. पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 47 "बैठक के विचाराधीन विषय में जब किसी सदस्य का धनीय हित निहीत हो" का तत्कालीन सरपंच द्वारा स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।
2. जैर निगरानी पट्टा नियम 158 (भूमि का कमजोर वर्ग को आवंटन) के तहत सरपंच द्वारा अपनी माता के नाम अविधिक रूप से नियमों का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया है जिसमें रियायती दरों पर आवंटन करने का प्रावधान है।

बिन्दु संख्या 01 के संदर्भ में यह है कि बहस के दौरान अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अप्रार्थी एवं तत्कालीन सरपंच के निकट रिश्ते को स्वीकार किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन सरपंच द्वारा निकट संबंधी को जैर निगरानी पट्टा जारी किया है तथा उक्त तथ्य कोरम की जानकारी में लाया गया हो ऐसा कोई साक्ष्य अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे तत्कालीन सरपंच का उक्त पट्टा जारी करने में Conflict of Interest अर्थात् अध्यक्ष/सदस्य का निर्णय उसकी रूचि से प्रभावित होना प्रथम–दृष्ट्या प्रमाणित होता है।

बिन्दु संख्या 02 के संदर्भ में यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार से यह स्पष्ट होता है कि जैर निगरानी पट्टा नियम 158 (भूमि का कमजोर वर्ग को आवंटन) के तहत सरपंच द्वारा अपनी माता के नाम अविधिक रूप से नियमों का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया है जिसमें रियायती दरों पर 300 वर्ग गज तक आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, स्वच्छकारों, पिछड़े वर्गों, गांव के कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, गाडियां लौहारों को, जिनके पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं है, ऐसे बाढ़ग्रस्त जिनके गृह बह गये है या निवास हेतु अयोग्य हो गये

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

है जिनकी सूची अथवा ग्राम पंचायत द्वारा चिह्नीकरण होने पर रियायती दरों पर आवंटन करने का प्रावधान है जबकि जैर निगरानी पट्टा तत्कालीन सरपंच द्वारा अपनी माता के नाम निःशुल्क जारी किया गया है जबकि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को जारी किया जाता है। इसलिए बिन्दु अप्रार्थी के विरूद्ध तय किया जाता है।

अतः जैर निगरानी पट्टा जारी करने में प्रथम–दृष्ट्या गंभीर अनियमितता एवं विसंगतियां प्रमाणित होती है। उपरोक्त विवेचन से परिलक्षित होता है कि तत्कालीन सरपंच द्वारा बिना प्रक्रिया/नियमों की पालना किये अविधिक रूप से अपनी माता के नाम नियम 158 में जारी पट्टा संख्या 45 दिनांक 11.09.2019 निरस्त किया जाता है साथ ही जैर निगरानी प्रकरण में तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं अन्य संबंधित के स्तर पर गंभीर लापरवाही व अनियमितता पाई जाती है। अतः मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली को निर्देशित किया जाता है कि तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं अन्य संबंधित के विरूद्ध 15 दिवस में सी.सी.ए. नियम/सुसंगत नियमों में कार्यवाही करते हुए जैर आराजी का कब्जा ग्राम पंचायत को सुपुर्द किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली